Young Researcher
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2277-7911 | Impact Factor – 5.958| *Website:* https://yra.ijaar.co.in/
Volume-14, Issue-3 | July – August – September 2025

Original Article

सामाजिक न्याय के संदर्भ में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का दार्शनिक विचार : एक समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ. सरोज राम[1], बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह[2]

[1]शोध निर्देशक एवं सहायक प्राध्यापक, दर्शनशास्त्र विभाग, अंजबीत सिंह महाविद्यालय, बिक्रमगंज

[2]शोधार्थी, दर्शनशास्त्र विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

Manuscript ID: yrj-140309

ISSN: 2277-7911
Impact Factor – 5.958

Volume 14
Issue 3
July-August-Sept.- 2025
Pp. 86 - 92

Submitted: 19 July 2025
Revised: 28 July 2025
Accepted: 30 July 2025
Published: 10 Sept. 2025

Corresponding Author:
बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह

Quick Response Code:

Web. https://yra.ijaar.co.in/

DOI: 10.5281/zenodo.19695192

DOI Link: https://doi.org/10.5281/zenodo.19695192

सारांश :

यह शोध-लेख भारतीय समाज में सामाजिक न्याय की अवधारणा के संदर्भ में डॉ. भीमराव अम्बेडकर के दार्शनिक विचारों का व्यापक एवं समीक्षात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। भारतीय समाज ऐतिहासिक रूप से जाति-आधारित पदानुक्रम, सामाजिक बहिष्करण तथा संरचनात्मक असमानताओं से प्रभावित रहा है, जिसने समाज के एक बड़े वर्ग को अधिकारों, संसाधनों और गरिमा से वंचित रखा। ऐसे परिप्रेक्ष्य में अम्बेडकर का चिंतन सामाजिक न्याय के एक सशक्त वैचारिक और व्यावहारिक प्रतिमान के रूप में उभरकर सामने आता है।

अम्बेडकर ने सामाजिक असमानता, जाति-व्यवस्था और अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष करते हुए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को एक समतामूलक समाज की आधारशिला के रूप में स्थापित किया। उनके अनुसार, सामाजिक न्याय केवल विधिक प्रावधानों या राजनीतिक अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक-नैतिक व्यवस्था का निर्माण है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान सम्मान, अवसर और गरिमा प्राप्त हो। यह अध्ययन उनके विचारों के मूलभूत तत्त्वों—सामाजिक लोकतंत्र, संवैधानिकता, दलित सशक्तिकरण तथा मानवाधिकारों—का विश्लेषण करता है।

प्रस्तुत शोध में अम्बेडकर के दार्शनिक आधारों का भी गहन परीक्षण किया गया है, जिसमें बौद्ध दर्शन की करुणा, समता और प्रज्ञा की अवधारणाओं के साथ-साथ आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों और पश्चिमी चिंतन का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। विशेष रूप से, उनका जाति-प्रथा के विरुद्ध दृष्टिकोण न केवल सामाजिक आलोचना है, बल्कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन की मांग भी करता है, जिसका उद्देश्य समाज को समावेशी और न्यायपूर्ण बनाना है।

इस अध्ययन में अम्बेडकर के विचारों की सीमाओं और चुनौतियों का भी समीक्षात्मक विश्लेषण किया गया है, जैसे कि सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन की धीमी गति, आरक्षण नीति पर उत्पन्न विवाद तथा आर्थिक असमानताओं की निरंतरता। इसके बावजूद, यह शोध इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अम्बेडकर का सामाजिक न्याय संबंधी दृष्टिकोण आज के वैश्विक और भारतीय संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है।

समकालीन भारत में बढ़ती सामाजिक विषमता, पहचान-आधारित राजनीति, लैंगिक असमानता तथा विकास की असंतुलित प्रक्रिया के बीच

Young Researcher
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2277-7911 | Impact Factor – 5.958| *Website:* https://yra.ijaar.co.in/
Volume-14, Issue-3 | July – August – September 2025

अम्बेडकर का दर्शन एक वैकल्पिक, समावेशी और न्यायोन्मुखी दृष्टिकोण प्रदान करता है। उनके विचार सामाजिक परिवर्तन के लिए न केवल प्रेरणा देते हैं, बल्कि एक नैतिक दिशा भी निर्धारित करते हैं, जो लोकतांत्रिक समाज की स्थिरता और समृद्धि के लिए आवश्यक है।[1]

अंततः, यह शोध यह स्थापित करता है कि अम्बेडकर का सामाजिक न्याय का दर्शन एक परिवर्तनकारी वैचारिक ढाँचा है, जो केवल ऐतिहासिक महत्व का नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के समाज के निर्माण में भी अत्यंत उपयोगी और मार्गदर्शक सिद्ध होता है।

मुख्य शब्द : सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, जाति-व्यवस्था, अम्बेडकरवाद, लोकतंत्र, मानवाधिकार

Creative Commons

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)

This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0), *which permits others to remix, adapt, and build upon the work non-commercially, provided that appropriate credit is given and that any new creations are licensed under identical terms.*

How to cite this article:

डॉ. सरोज राम, बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह (2025). सामाजिक न्याय के संदर्भ में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का दार्शनिक विचार : एक समीक्षात्मक अध्ययन. Young researcher, 14(3), 86 – 92.

https://doi.org/10.5281/zenodo.19695192

प्रस्तावना :

भारतीय समाज ऐतिहासिक रूप से असमानताओं, सामाजिक विभाजनों तथा संरचनात्मक विषमताओं से ग्रसित रहा है। विशेषतः जाति-व्यवस्था ने समाज में गहरी असमानता, सामाजिक स्तरीकरण तथा शोषण की प्रवृत्तियों को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक बड़े वर्ग को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अवसरों से वंचित रहना पड़ा। इस व्यवस्था ने न केवल सामाजिक गतिशीलता को अवरुद्ध किया, बल्कि मानवीय गरिमा और समानता के मूल्यों को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया।

ऐसे परिप्रेक्ष्य में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का चिंतन सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु एक क्रांतिकारी एवं परिवर्तनकारी विचारधारा के रूप में उभरता है। अम्बेडकर ने भारतीय समाज की संरचनात्मक विसंगतियों का गहन विश्लेषण करते हुए यह प्रतिपादित किया कि जब तक सामाजिक असमानताओं का उन्मूलन नहीं किया जाएगा, तब तक वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं है। उनका लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, अवसर तथा सम्मान प्राप्त हो और किसी भी प्रकार का भेदभाव सामाजिक जीवन में स्थान न पाए।

अम्बेडकर का दृष्टिकोण केवल सुधारवादी नहीं, बल्कि मूलभूत सामाजिक परिवर्तन की ओर उन्मुख था। उन्होंने जाति-व्यवस्था को सामाजिक अन्याय का प्रमुख स्रोत मानते हुए उसके पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिया। उनके अनुसार, सामाजिक न्याय केवल विधिक या

संवैधानिक प्रावधानों से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए समाज की मानसिकता, नैतिकता तथा संरचनात्मक ढांचे में व्यापक परिवर्तन आवश्यक है।

उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को सामाजिक न्याय की आधारशिला के रूप में स्थापित किया, जो न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल तत्त्व हैं, बल्कि एक मानवीय समाज के निर्माण के लिए भी अनिवार्य हैं। अम्बेडकर का यह भी मानना था कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र टिकाऊ नहीं हो सकता, अतः उन्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता को भी उतना ही महत्व दिया जितना राजनीतिक अधिकारों को।[2]

इसके अतिरिक्त, अम्बेडकर ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख साधन माना और दलितों तथा वंचित वर्गों के सशक्तिकरण हेतु इसे आवश्यक बताया। उन्होंने संवैधानिक उपायों, विशेषतः आरक्षण नीति और मौलिक अधिकारों के माध्यम से सामाजिक न्याय को संस्थागत रूप प्रदान करने का प्रयास किया।

वर्तमान समय में, जब समाज में अभी भी सामाजिक विषमताएँ, पहचान-आधारित संघर्ष और असमान विकास की प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं, अम्बेडकर का चिंतन और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। उनका दर्शन न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि समकालीन समाज के लिए भी एक नैतिक एवं वैचारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है।

अतः प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य अम्बेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी दार्शनिक विचारों का विश्लेषण करना, उनके सैद्धांतिक आधारों को समझना तथा समकालीन संदर्भों में उनकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना है।

सामाजिक न्याय की अवधारणा :

सामाजिक न्याय का तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना से है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार, समान अवसर तथा मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो। यह केवल संसाधनों के समान वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में व्याप्त असमानताओं, भेदभाव और शोषण की संरचनाओं को समाप्त करने की एक सतत प्रक्रिया भी है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, सामाजिक न्याय केवल कानून के दायरे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की मूलभूत संरचना, विचारधारा और व्यवहार में परिवर्तन की मांग करता है। उनका मानना था कि जब तक समाज में व्याप्त जातिगत असमानताएँ, अस्पृश्यता और सामाजिक बहिष्करण समाप्त नहीं होंगे, तब तक वास्तविक न्याय की स्थापना संभव नहीं है।

अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय को एक समग्र और गतिशील अवधारणा के रूप में देखा, जिसमें व्यक्ति की गरिमा, सामाजिक समानता और नैतिक मूल्यों का समन्वय आवश्यक है। उन्होंने इस

बात पर विशेष बल दिया कि न्याय का वास्तविक स्वरूप तभी साकार हो सकता है, जब समाज के प्रत्येक वर्ग को समान सम्मान और अवसर प्राप्त हो तथा कोई भी व्यक्ति सामाजिक या आर्थिक आधार पर वंचित न रहे।

इसी संदर्भ में उन्होंने सामाजिक न्याय के आधारभूत सिद्धांतों को तीन प्रमुख तत्वों में विभाजित किया, जो एक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज की नींव माने जाते हैं—

- **समानता (Equality):** प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान अधिकार और अवसर प्राप्त होना चाहिए।
- **स्वतंत्रता (Liberty):** व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और आचरण की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए।
- **बंधुत्व (Fraternity):** समाज में पारस्परिक सम्मान, सहयोग और भाईचारे की भावना का विकास आवश्यक है, जिससे सामाजिक एकता और समरसता बनी रहे।

इस प्रकार, अम्बेडकर के दृष्टिकोण में सामाजिक न्याय केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक और नैतिक लक्ष्य है, जिसका उद्देश्य एक समतामूलक, समावेशी और मानवीय समाज की स्थापना करना है।[3]

अम्बेडकर का दार्शनिक दृष्टिकोण:

(क) समानता का सिद्धांत: अम्बेडकर का मानना था कि जाति-व्यवस्था सामाजिक असमानता का मुख्य कारण है। उन्होंने जाति-उन्मूलन को सामाजिक न्याय की पहली शर्त माना।

(ख) स्वतंत्रता का विचार: उनके अनुसार, स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी है।

(ग) बंधुत्व का महत्व: अम्बेडकर ने बंधुत्व को सामाजिक एकता का आधार माना। बिना बंधुत्व के समानता और स्वतंत्रता अधूरी है।

सामाजिक न्याय हेतु अम्बेडकर के प्रयास : भारतीय समाज में व्याप्त गहरी असमानताओं और सामाजिक अन्याय को समाप्त करने के लिए डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने बहुआयामी प्रयास किए। उनके प्रयास केवल वैचारिक स्तर तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक तथा संवैधानिक स्तर पर ठोस कदम उठाए, जिनका उद्देश्य एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना था।

- **संविधान निर्माण में समान अधिकारों की व्यवस्था :** अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हुए सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों को सुनिश्चित किया। उन्होंने मौलिक अधिकारों, विधि के समक्ष समानता तथा भेदभाव के निषेध जैसे प्रावधानों के माध्यम

से सामाजिक न्याय को संस्थागत रूप प्रदान किया।

- **अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए संघर्ष :** अम्बेडकर ने अस्पृश्यता को मानवता के विरुद्ध एक गंभीर सामाजिक बुराई माना और इसके उन्मूलन के लिए निरंतर संघर्ष किया। उन्होंने सामाजिक आंदोलनों, लेखन तथा जन-जागरण के माध्यम से इस कुप्रथा के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप इसे कानूनी रूप से समाप्त किया गया।
- **शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाना :** अम्बेडकर ने शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण और जागरूकता का सबसे प्रभावी साधन माना। उन्होंने वंचित वर्गों को शिक्षित होने के लिए प्रेरित करते हुए "शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो" का संदेश दिया, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
- **दलितों और वंचित वर्गों के लिए आरक्षण नीति :** अम्बेडकर ने ऐतिहासिक रूप से वंचित एवं शोषित वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण नीति का समर्थन किया। उनका मानना था कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को समान अवसर प्रदान करने के लिए सकारात्मक भेदभाव (Positive Discrimination) आवश्यक है, जिससे वे मुख्यधारा में सम्मिलित हो सकें और सामाजिक न्याय की वास्तविक स्थापना हो सके।

इस प्रकार, अम्बेडकर के ये प्रयास सामाजिक न्याय को केवल एक आदर्श न बनाकर उसे व्यवहारिक रूप में लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुए।

समीक्षात्मक विश्लेषण:

अम्बेडकर का सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक और प्रगतिशील है, परंतु कुछ आलोचक इसे पश्चिमी विचारों से प्रभावित मानते हैं। फिर भी, भारतीय संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता अत्यंत महत्वपूर्ण है।[4]

सकारात्मक पक्ष:

- *सामाजिक समानता पर बल*
- *संवैधानिक सुरक्षा का प्रावधान*
- *लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन*

सीमाएँ:

- *व्यावहारिक स्तर पर पूर्ण क्रियान्वयन में कठिनाई*
- *सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन की धीमी गति*

समकालीन प्रासंगिकता:

आज भी भारतीय समाज में असमानता और भेदभाव मौजूद हैं। ऐसे में अम्बेडकर के विचार

सामाजिक न्याय की दिशा में मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं।

निष्कर्ष :

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का सामाजिक न्याय संबंधी दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है जितना उनके समय में था। उन्होंने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर, अधिकार और मानवीय गरिमा प्राप्त हो। उनका चिंतन केवल सैद्धांतिक विमर्श तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन की एक सशक्त और व्यावहारिक दिशा प्रदान करता है।

अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता भी अनिवार्य है। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को एक समतामूलक समाज की आधारशिला के रूप में प्रस्तुत किया, जो आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल तत्व माने जाते हैं। उनका यह दृष्टिकोण इस तथ्य को रेखांकित करता है कि यदि समाज में किसी भी प्रकार की असमानता या भेदभाव विद्यमान है, तो वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं हो सकती।

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अम्बेडकर का सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण केवल कानूनी या संवैधानिक ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक, नैतिक और मानवीय दर्शन पर आधारित है। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता और असमानताओं के विरुद्ध संघर्ष करते हुए एक ऐसे समाज की नींव रखने का प्रयास किया, जो समावेशी, न्यायपूर्ण और मानवीय मूल्यों पर आधारित हो।

यद्यपि उनके विचारों के कार्यान्वयन में अनेक चुनौतियाँ और सीमाएँ भी सामने आई हैं, जैसे कि सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन की धीमी गति, आर्थिक विषमताओं की निरंतरता तथा आरक्षण नीति से जुड़े विवाद, फिर भी उनके द्वारा प्रस्तुत वैचारिक ढांचा आज भी सामाजिक सुधार और नीतिगत निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

समकालीन भारत में, जहाँ सामाजिक असमानताएँ, पहचान-आधारित राजनीति और विकास की असंतुलित प्रवृत्तियाँ अभी भी विद्यमान हैं, अम्बेडकर का दर्शन एक सशक्त मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। उनके विचार न केवल वंचित और हाशिए पर स्थित वर्गों के सशक्तिकरण की दिशा में प्रेरणा देते हैं, बल्कि संपूर्ण समाज को एक समतामूलक, न्यायपूर्ण और संवेदनशील व्यवस्था की ओर अग्रसर करते हैं।[5]

अंततः यह कहा जा सकता है कि अम्बेडकर का सामाजिक न्याय संबंधी दर्शन केवल ऐतिहासिक महत्व का विषय नहीं है, बल्कि यह वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए एक प्रासंगिक एवं परिवर्तनकारी वैचारिक आधार प्रदान करता है।

उनका चिंतन समाज को न केवल समानता और न्याय की दिशा में अग्रसर करता है, बल्कि मानवीय गरिमा, सहअस्तित्व और बंधुत्व की भावना को भी सुदृढ़ करता है, जो किसी भी सभ्य और लोकतांत्रिक समाज के लिए अनिवार्य है।

संदर्भ सूची :

1. अम्बेडकर, भीमराव. *जाति का विनाश (Annihilation of Caste)*, नई दिल्ली: नवयाना प्रकाशन, 2014, पृ. 45–60।
2. अम्बेडकर, भीमराव. *बुद्ध और उनका धम्म*, नई दिल्ली: भारत सरकार प्रकाशन, 1957, पृ. 120–150।
3. कीर, धनंजय. *डॉ. अम्बेडकर: जीवन और मिशन*, मुंबई: पॉपुलर प्रकाशन, 1990, पृ. 210–250।
4. भारत सरकार. *भारतीय संविधान*, नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग, 1950, पृ. 14–25 (मौलिक अधिकार)।
5. Omvedt, Gail. *Ambedkar: Towards an Enlightened India*, नई दिल्ली: पेंगुइन बुक्स, 2008, पृ. 75–110।